शास्त्रीय भाषा मैथिली की मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) पार्टी ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से **मैथिली** को [शास्त्रीय भाषा] का दर्जा देने की मांग की है, क्योंकि इस श्रेणी में कई अन्य भाषाओं को शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- **मान्यता प्राप्त भाषाएँ**: केंद्र सरकार ने हाल ही में **मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया** सहित कई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है।
  - इससे पहले, **तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया** जैसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी।
- **ऐतिहासिक संदर्भ**: मैथिली भाषा का साहित्यिक इतिहास लगभग **1,300 वर्ष** पुराना है और राज्य ने इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत करने की मांग की है।
  - सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने **अगस्त 2018** में 11 सिफारिशें की थीं, जिनमें **मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषाओं** में शामिल करना भी शामिल था ।
- **शास्त्रीय भाषाओं को समझना:**
  - "भारतीय शास्त्रीय भाषाएँ" या **"सेम्मोझी (Semmozhi)"** शब्द उन भाषाओं को संदर्भित करता है जिनका लंबा इतिहास और समृद्ध साहित्यिक विरासत है। भारत में ग्यारह भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  - मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं में शामिल हैं:
    - **तमिल** (2004)
    - **संस्कृत** (2005)
    - **तेलुगु** (2008)
    - **कन्नड़** (2008)
    - **मलयालम** (2013)
    - **ओडिया** (2014)
    - **मराठी (2024)**
    - बंगाली (2024)
    - पाली (2024)
    - प्राकृत (2024)
    - असमिया (2024)
  - **शास्त्रीय भाषा की स्थिति का महत्त्व:** 1 नवंबर, 2004 के एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, शास्त्रीय भाषाओं की स्थिति का महत्व है, जिसमें शामिल हैं:
    - शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के विद्वानों के लिये वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार।
    - **शास्त्रीय भाषा अध्ययन के लिये उत्कृष्टता केंद्रों** की स्थापना।
    - **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**, केंद्रीय विश्वविद्यालयों से शुरुआत करते हुए, शास्त्रीय भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिये व्यावसायिक पीठों का निर्माण करेगा।
  - **किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड:** संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड में शामिल होते हैं:
    - **भाषा की आयु**: भाषा का प्रलेखित इतिहास या प्रारंभिक ग्रंथ **1,500 से 2,000 वर्ष** पुराना होना चाहिये।
    - **सांस्कृतिक मूल्य**: इसमें प्राचीन साहित्य होना चाहिये जिसे इसके वक्ता अपनी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानते हों।
    - **मौलिकता**: साहित्यिक विरासत मौलिक होनी चाहिये और अन्य भाषाओं से उधार ली हुई नहीं होनी चाहिये।
    - **असंततता**: शास्त्रीय भाषा और उसके आधुनिक रूपों के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिये, जो उसके विकास में संभावित असंततता को दर्शाता हो।

भाषा को बढ़ावा देने के लिये अन्य प्रावधान

- **आठवीं अनुसूची:** भाषा के निरंतर विकास और संवर्द्धन को प्रोत्साहित करना। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं:
    - असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
- **अनुच्छेद 344 (1)** में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिये संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान है।
- **अनुच्छेद 351** में प्रावधान है कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाना संघ का कर्तव्य होगा।
- भाषाओं को बढ़ावा देने के अन्य प्रयास:
    - **प्रोजेक्ट अस्मिता:** प्रोजेक्ट अस्मिता का लक्ष्य पाँच वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना है।
    - **नई शिक्षा नीति (NEP):** NEP नीति का उद्देश्य संस्कृत विश्वविद्यालयों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलना है।
    - **केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL)**: यह संस्थान चार शास्त्रीय भाषाओं: कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया को बढ़ावा देने के लिये कार्य करता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/classical-language-demand-for-maithili